

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)



0141-2227379

✉ PDSAP-RD-RJ@GOV.IN Website: rdprd.gov.in

क्रमांक: एफ4(2)/ग्रावि/गुप-6/मेवात बोर्ड मीटिंग/2022/3368-3400 जयपुर, दिनांक - 20/10/2022

संशोधित बैठक सूचना

विभागीय समसंख्यक क्रमांक 3259-3278 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की अध्यक्षता में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना (वित्तीय वर्ष 2022-23) के प्रस्तावों का अनुमोदन हेतु बैठक दिनांक 27.10.2022 को दोपहर 02.00 बजे से कान्फ्रेंस हॉल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

उक्त बैठक कान्फ्रेंस हॉल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर के स्थान पर उत्तर-पश्चिम भवन, समिति कक्ष, प्रथम तल शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक से संबंधित अन्य समस्त सूचनाएं यथावत है। बैठक में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. माननीय सांसद, लोकसभा संबंधित क्षेत्र।
2. माननीय विधायक, संबंधित क्षेत्र।
3. जिला प्रमुख, अलवर एवं भरतपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव-ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/वित्त/आयोजना/कृषि एवं पशुपालन/जल संसाधन/ऊर्जा/सार्वजनिक निर्माण विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं भरतपुर संभाग (वीसी के माध्यम से)।
6. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
7. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर (वीसी के माध्यम से)।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर (वीसी के माध्यम से)।

सलग्न:- एजेण्डा बिन्दु एवं गत बैठक का कार्यवाही विवरण।

परि. निदे. एवं पदेन  
उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल।
4. माननीय सांसद/विधायकगण/जिला प्रमुख ..... (संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संबंधित माननीय सांसद/विधायकगण/जिला प्रमुख को उक्त संशोधित बैठक सूचना मय एजेण्डा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराया जावे)।
5. जिला प्रमुख, अलवर एवं भरतपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव-शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज/वित्त/ऊर्जा/जल संसाधन/सार्वजनिक निर्माण/वन एवं पर्या.।
9. निजी सचिव, शासन सचिव-ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/पशुपालन/आयोजना/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/आयोजना।
10. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान।
11. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं भरतपुर।
12. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समसा।
13. निजी सचिव, जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर।
14. परियोजना निदेशक, राजीविका।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर।
16. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
17. पंजीयक/केयर टेकर, शासन सचिवालय को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 27.10.2022 को दोपहर 2:00 बजे बैठक हेतु उत्तर-पश्चिम भवन प्रथम तल शासन सचिवालय में आरक्षित करने का श्रम करें।
18. परियोजना अधिकारी (प्रशासन), व आहरण एवं वितरण अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित कर लेख/निवेदन है कि उक्त बैठक के लिये 45 प्रतिभागियों हेतु समय पर जलपान अल्पाहार की समुचित व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
19. श्री मुकेश वर्मा(9772205412)एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), ग्रामीण विकास को भेजकर लेख है कि एन.आई.सी. के माध्यम से वी.सी. की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावें।

परि. निदे. एवं पदेन  
उप सचिव (एसएपी)

मेवात विकास मंडल की दिनांक 27 / 10 / 2022 को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैठक के एजेंडा बिंदु-

1. गत बैठक दिनांक 16 मई 2022 की अनुपालना पर चर्चा।
2. मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला अलवर एवं भरतपुर की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 का अनुमोदन।
3. पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली पर अनुमोदित किये गये कार्यों का बोर्ड की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।
4. जिला परिषद् भरतपुर द्वारा ग्राम पंचायत तेस्की (सेवल मंदिर) के लिए प्राप्त आठ प्रस्तावों पर विचार।
5. मेवात विकास कार्य योजना के नवीन दिशा निर्देशों पर चर्चा।
6. वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक अपूर्ण एवं अप्रारम्भ कार्यों की प्रगति एवं समायोजन की स्थिति पर चर्चा।
7. मेवात उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालयों के उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालयों में क्रमोन्नत करने एवं समसा द्वारा नामांकन दोगुना (50 से 100) करने के कारण अतिरिक्त भवन निर्माण पर चर्चा।
8. मेवात कला, संस्कृति के उत्थान एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार।
9. अन्य बिंदु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।